फान–2286710
2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र,10 अशोक मार्ग,लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांक– 1546/241/एनयूएलएम/तीन/2001(SUH) दिनॉक– 01/8/2014

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश

नगर आयुक्त
नगर निगम
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ

अधिशासी अधिकरी
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत
लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्भल, चदौंसी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मुगलसराय, बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पडरौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र) / अमेठी, ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी), भिनगा (श्रावस्ती)

विषय–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत (एन0यू0एल0एम0) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय उपघटक (Scheme for Shelter for Urban Home less (SUH)) के अंतर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अभिकरण मुख्यालय के पत्रांक–3377/241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001, दिनांक 31.01.2014 तथा पत्रांक–155/241/एनयूएलएम/तीन/2001, दिनांक 23.04.2014 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से गाइड लाइन के अनुसार सभी निकायों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे जिसके परिप्रेक्ष्य में अभी तक कतिपय निकायों से ही उक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जो प्रथम दृष्टतया परीक्षण में पूर्ण नहीं पाये गये है।

2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रस्ताव, गाइड लाइन का भली–भॉति अध्ययन कर तद्नुसार ही प्रस्ताव प्रेषित किये जाने है, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है–

1. **प्रस्तावना** – प्रस्ताव का आरम्भिक पार्ट प्रस्तावना का होना चाहिए जिसमें शहर/निकाय विशेष की सामजिक आर्थिक परिस्थितियों के साथ प्रस्तावित बेघरों के आश्रय से संबंधित आकड़ों का उल्लेख हो जो आश्रय के प्रस्ताव न्यायसंगत हो। शहर का मानचित्र संलग्न कर प्रस्तावित स्थल को भी चिहिन्त किया जा सकता है साथ ही मानचित्र में अन्य बसाहट का भी चिन्हांकन कर प्रस्ताव की प्रमाणिकता की पुष्टि भी की जानी चाहिए।

2. संचालन की रणनीति।
3. आश्रय के प्रकार एवं व्यवस्थाओं के विवरण का उल्लेख।
4. प्रस्तावित आश्रय में सम्मिलित की जाने वाली सेवायें एवं सुविधाओं का विवरण दिशानिर्देशों के अनुरूप उल्लेख होना चाहिए।
5. **लिंकेजेज विद इनटाइटिलमेन्ट रिलाइजेशन** – प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि आश्रय विहीन लोगों को उनके इनटाइटिलमेन्ट की पहुँच कैसे सुनिश्चित् करायी जायेगी, विभिन्न संस्थाओं/विभागों से समन्वय व्यवस्थायें क्या होगी, आदि का उल्लेख दिशानिर्देशों में उल्लिखित सेवओं के संबंध में अवश्य करें।
6. **आश्रय का लोकेशन** – आश्रय के लोकेशन में स्पष्ट रूप से विवरण उल्लिखित हो कि वर्तमान में लक्षित समूह जहां रह रहे है वहां से प्रस्तावित दूरी कितनी है, उनके कार्य स्थल की दूरी कितनी है, वहां से आने–जाने का साधन यदि का विवरण भी उल्लिखित करें।
7. **आश्रय की डिजायन** – आश्रय की डिजाइन सभी मौसमों को ध्यान में रखकर स्थानीय आवश्यकतानुसार आश्रय के स्थाई प्रकार को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उपघटक के दिशानिर्देशों के अनुसार आश्रय का निर्माण 50 अथवा 100 व्यक्तियों के आश्रय को ध्यान में रखकर 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
8. **संचालन एवं प्रबन्धन** – प्रस्ताव में आश्रय के सही ढंग से संचालन हेतु संस्थागत ढांचे के साथ संचालन एव प्रबन्धन का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। आश्रय के संचालन एवं प्रबन्धन के संबंध में योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आश्रय किसके द्वारा संचालित किया जायेगा, का विवरण भी उल्लिखित होना चाहिए साथ ही संस्थागत व्यवस्थाओं (आश्रय प्रबन्ध समिति) आदि का विवरण भी हो।
9. आश्रय में रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का विवरण।
10. आश्रय का व्यय विवरण –प्रबन्धन हेतु प्रस्तावित विभिन्न व्यय का मदवार विवरण।
11. तकनीकी प्रस्ताव – पी0डब्ल्यू0डी0 के स्थानीय प्रचलित एस0ओ0आर0 पर निर्माण कार्य हेतु विस्तृत इस्टीमेट, डिजाइन, ड्राइंग आदि की डी0पी0आर0।

3. प्रस्तर 2 में उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में आश्रय संचालन प्रबन्धन संस्थानों द्वारा गाइड लाइन के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जायेगें।

4. प्रस्ताव में आश्रय निर्माण आदि की स्पष्ट समय–सारणी उल्लिखित होगी।

5. प्रस्ताव निकाय/डूडा/सी0एम0एम0यू0 द्वारा एस0यू0एल0एम0 सूडा को प्रस्तुत किया जायेगा।

6. नये आश्रय निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि निकाय/सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा भूमि उपलब्ध के प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ लगायें जायेगें।

7. प्रस्ताव में नियमानुसार सभी प्रशासनिक व्यवस्थायें एवं आवश्यक अनुमोदन किलियेरेन्श लिये जायेगें।

8. वर्तमान में संचालित आश्रयों के रिनोवेशन हेतु प्रस्ताव में लीगल एग्रीमेन्ट, ओनरशिप डीड एवं अन्य उपलब्ध आवश्यक प्रमाणों को प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

9. प्रस्ताव में आश्रय व्यवस्था एवं प्रबन्धन के विस्तृत विवरण जिसमें रहने वालों हेतु नियमावली संचालन व्यवस्था के साथ ही 5 वर्ष उपरान्त सतत् संचालन के स्त्रोंतो का विस्तृत उल्लेख करना होगा।

10. निर्मित एसेट के रख–रखाव मेन्टीनेन्स, संचालन, हैण्ड ओवर आदि का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना होगा।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर **शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजनान्तर्गत (SUH)** प्रस्ताव तत्काल अभिकरण मुख्यायल को उपलबध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

01/8/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सी0पी0ओ0), एन0यू0एल0एम0 संबंधित शहर, उत्तर प्रदेश।

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक